न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 17 / 2022

1. हणमान पुत्र माला जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. श्योचन्द पुत्र माला जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. भागीरथ पुत्र माला जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. बनवारी पुत्र माला जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. जड़ावली पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. देवकरण पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. श्रवण उर्फ सज्जन कुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. महेन्द्र सिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
9. सुरजाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
10. ग्यारसी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
11. निर्मला पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
12. संतोष पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
13. सुमित्रा पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
14. मनभरी पत्नी नाराणाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
15. प्रताप पुत्र नाराणाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुन
16. रामादेवी पुत्री नाराणाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुन
17. मंजू देवी पुत्री नाराणाराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुन
18. चिमनाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
19. बल्लाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुन
20. फूलाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुन
21. शीशराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुन
22. खीवणी देवी पत्नी ब्रजलाल जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
23. रेशमा देवी पुत्री ब्रजलाल जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
24. उम्मेद देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
25. दौलतराम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
26. अमित कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. नरसाराम पुत्र ब्रजलाल जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. कालूराम पुत्र ब्रजलाल जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. सांवरमल पुत्र मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
4. दरिया सिंह पुत्र मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
5. ताराचंद पुत्र मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
6. तुलसी देवी पत्नी मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
7. जमना पुत्री मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
8. संतोष पुत्री मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

कमला पुत्री मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
10. सिलोचना पुत्री मोहन जाति जाट निवासी झटावा कलां तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
12. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ

निर्णय

निर्णय दिनांक 04.05.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम झटावा खुर्द की सरहद में भूमि गत खसरा नम्बर 1 तादादी 95 बीधा 4 बिश्वा जिसके वर्तमान खाता संख्या 94 के ख0न0 1 रकबा 0.01 है0, ख0न0 2 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 3 रकबा 24.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 24.08 है0 तथा गत खसरा नम्बर 14 तादादी 40 बीधा 12 बिश्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 9 बीधा 6 बिश्वा, खसरा नम्बर 70/2 रकबा 17 बीधा 16 बिश्वा के हाल खाता संख्या 28 के ख0न0 161 रकबा 4.20 है0, ख0न0 163/309 रकबा 0.15 है0, ख0न0 164/310 रकबा 0.15 है0, ख0न0 47 रकबा 2.35 है0, ख0न0 48 रकबा 1.00 है0, ख0न0 49 रकबा 6.92 है0, ख0न0 86/315 रकबा 0.02 है0, ख0न0 87/316 रकबा 0.03 है0 ख0न0 88 रकबा 0.37 है0, ख0न0 89 रकबा 0.77 है0 व ख0न0 90 रकबा 1.16 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 17.12 है0 भूमि अवस्थित है जो सादुराम के वारिसान मालाराम व लादूराम की खातेदारी भूमि रही है। सादुराम के फौत होने पर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि ख0न0 1, 2, 3 की भूमि का 1/2 हिस्सा भूमि मोहन पुत्र श्योजी तथा 1/2 हिस्सा भूमि सादूराम के पुत्र लादूराम काश्त करने लगा तथा वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि ख0न0 47, 48 व 49 को सादुराम के पुत्र मालाराम काश्त करने लगा शेष खसरा नम्बरान 161, 163/309, 164/310, 86/315, 87/316, 88, 89, 90 में मालाराम व लादुराम संयुक्त रूप से काश्त करने लगे। वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर मौके पर भौतिक रूप से लादुराम काश्त करता था तथा राजस्व रिकार्ड गलती से मालाराम के नाम दर्ज हो गया। इसी प्रकार वादपत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि में दर्ज भूमि ख0न 47, 48 व 49 पर मालाराम काश्त करता था तथा शेष ख0न0 161, 163/309, 164/310, 86/315, 87/316, 88, 89 व 90 संयुक्त रूप से दोनों भाई काश्त करते थे। अंत में वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि वादीगण संख्या 18 लगायत 21 को प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 22, 23 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 1/12 तथा वादीगण संख्या 24 लगायत 26 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे। साथ ही खाता संख्या 28 के खेत ख0न0 161, 163/309, 164/310, 47, 48, 49, 86/315, 87/316, 88, 89 व 90 में से ख0न0 47, 48 व 49 में मालाराम के वारिसान वादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 5 लगायत 9 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 15 को 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे। तथा शेष खसरा नम्बरान 161, 163/309, 164/310, 86/315, 87/316, 88, 89 व 90 के हिस्से को यथावत रखा जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 की ओर से सांवरमल ने उनका हक हिस्सा प्रभावित नहीं होने की शर्त पर वाद डिक्री किये जाने में कोई उजर एतराज नहीं होना बताया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बाद तामील अनुपस्थित।

प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हे EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात वादी संख्या 1, 3 व 21 ने अपने वाद पत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र (पीडब्ल्यू–1) पेश किया। साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादपत्र की धारा 13(क)(ख) के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर दा वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम झटावा खुर्द की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 1 रकबा 0.01 है0, ख0न0 2 रकबा 0.05 है0 व ख0न0 3 रकबा 24.02 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 24.08 है0 में वादीगण संख्या 18 लगायत 21 को प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 22, 23 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 1/12 तथा वादीगण संख्या 24 लगायत 26 को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का तथा ख0न0 161 रकबा 4.20 है0, ख0न0 163/309 रकबा 0.15 है0, ख0न0 164/310 रकबा 0.15 है0, ख0न0 47 रकबा 2.35 है0, ख0न0 48 रकबा 1.00 है0, ख0न0 49 रकबा 6.92 है0, ख0न0 86/315 रकबा 0.02 है0, ख0न0 87/316 रकबा 0.03 है0 ख0न0 88 रकबा 0.37 है0, ख0न0 89 रकबा 0.77 है0 व ख0न0 90 रकबा 1.16 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 17.12 है0 में जमीन ख0न0 47 रकबा 2.35 है0, ख0न0 48 रकबा 1.00 है0, ख0न0 49 रकबा 6.92 है0 में मालाराम के वारिसान वादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 5 लगायत 9 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा तथा वादी संख्या 15 को 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। शेष खसरा नम्बरान ख0न0 161 रकबा 4.20 है0, ख0न0 163/309 रकबा 0.15 है0, ख0न0 164/310 रकबा 0.15 है0, ख0न0 86/315 रकबा 0.02 है0, ख0न0 87/316 रकबा 0.03 है0 ख0न0 88 रकबा 0.37 है0, ख0न0 89 रकबा 0.77 है0 व ख0न0 90 रकबा 1.16 है0 में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर